benefit of the poor and vulnerable sections of Society. The long term goal of this policy is to create surplus in housing stock either on ownership or rental basis. The State Governments are required to draw up their own action plans to address the housing problems in their States. Apart from National Housing & Habitat Policy, the other steps proposed are:

(i) Foreign Direct investment in the Housing and real estate sectors.

(ii) Increased support to HUDCO to enable it to play a more meaningful role.

[12.00 NOON]

PAPERS LAID ON THE TABLE

I. Report and Accounts (1997-98) of the Spices Board, Cochin and related papers.

II. Report and Accounts (1997-98) of MMTC Ltd. New Delhi and related papers.

III. Report and Accounts (1997-98) of the Indian Institute of Foreign Trade New Delhi and related papers.

IV. Report and Accounts (1996—98) of the various Export Promotion Councils and Organisations and related papers.

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): श्रीमन्, मैं श्री रामकृष्ण हेगड़े की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. गर्म मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 25 के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(क) 1997-98 के वर्ष के लिए गर्म मसाला बोर्ड, कोचीन का वार्षिक प्रतिवेदन।

(ख) 1997-98 के वर्ष के लिए गर्म मसाला बोर्ड, कोचीन के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन।

(ग) उपर्युक्त बोर्ड के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[Placed in Library. *See* No. LT-1947/98]

II. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (I) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(i) 1997-98 के वर्ष के लिए एम० एम० टी० सी० लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(ii) उपर्युक्त कम्पनी के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[Placed in Library. *See* No. LT-1944/98]

III. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

III. (क) 1997-98 के वर्ष के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली का चौंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त इंस्टिट्यूट के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[Placed in Library. *See* No. LT-1948/98]

IV (i) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्प्यूटर साफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउन्सिल, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त काउन्सिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[Placed in Library. *See* No. LT-1744/98]

(ii) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए लैदर एक्सपोर्ट्स परिषद्, चेन्नई का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त काउन्सिल के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[Placed in Library. *See* No. LT-1742/98]

(iii) (क) 1996-97 के वर्ष के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली का बत्तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त फेडरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[Placed in Library. *See* No. LT-1456/98]

(iv) (क) 1997-98 के वर्ष के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन्स, नई दिल्ली का तेतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, लेखाओं पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन सहित।

(ख) उपर्युक्त फेडरेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[Placed in Library. *See* No. LT-1743/98]

Notifications of the Ministry of Labour

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जटिया) श्रीमन्, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

I. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सा०का०नि० 185 दिनांक 17 सितम्बर, 1998 की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में)।

[Placed in Library. *See* No. LT-1857/98]

II. शिशु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन श्रम मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में):—

(1) वृत्तिका की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० 534(अ) दिनांक 28 अगस्त, 1998।

(2) वृत्तिका की दरों में वृद्धि के सम्बन्ध में शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1998 को प्रकाशित करने वाली सा०का०नि० 614(अ) दिनांक 12 अक्तूबर, 1998।

[Placed in Library. *See* No. LT-1858/98]

I. Reports and Accounts (1997-98) National Minorities Development and Finance Corporation and National Backward Classes Finance and Development Corporation, New Delhi and related papers.

II. Report (1994) on the protection of Civil Rights Acts, 1955 and related papers.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MANEKA GANDHI): Sir, I lay on the Table—

I. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956:—

(i)(a) Fourth Annual Report and Accounts of the National Minorities Development and Finance Corporation, New Delhi, for the year 1997-98, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. LT-1859/98]

(ii)(a) Sixth Annual Report and Accounts of the National Backward Classes Finance and Development Corporation, New Delhi, for the year 1997-98, together with the Auditor's Report on the Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General of India thereon.

(b) Review by Government on the working of the above Corporation.

[Placed in Library. *See* No. LT-1860/98]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers:—

(a) Fifteenth Annual Report on the Protection of Civil Rights Act, 1955, for the year 1994, under sub-section (4) of section 15A of the said Act, as amended in 1976.

(b) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. LT-1861/98]

Report and Accounts (1997-98) of the Bharat Heavy Electricals Ltd. New Delhi and related papers.

4. डा० सत्यनारायण जटिया: श्रीमन्, मैं **श्री सुखबीर सिंह बादल** की ओर से कंपनी